संख्या क0स0वि0-5-80/11-1998

प्रेषक,

डी0सी0डी0 भार्गव
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा मे,

महानिरीक्षक निबन्धन
एवं आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 12 जनवरी 1998

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि बहुधा जनसामान्य द्वारा अपनी सम्पत्ति का विक्रय किये जाने पर तथा उस पंजीकरण हेतु निबन्धन कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर तत्सम्बन्धी विलेख पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार स्टाम्प डूयटी चुकता किये जाने के बाद भी ऐसे विलेख उप निबन्धक द्वारा इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 47ए के अन्तर्गत सन्दर्भित कर दिये जाते हैं। इस प्रक्रिया से जहां एक ओर जनसामान्य में अत्यन्त असुविधा तथा अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है वही दूसरी ओर उप निबन्धकों को अत्यधिक स्वविवेक के उपयोग की छूट होने के कारण भ्रष्टाचार की गुजाइश बनी रहती है इससे जनसामान्य में सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2- उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए तथा जनसामान्य को राहत पहुचाने और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी विलेख पत्रों को, जिन पर स्टाम्प ड्यूटी उस क्षेत्र में प्रचलित कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार अदा की गई है, उन्हे उप

निबन्धकों द्वारा स्टाम्प की कमी के सन्देह में स्टाम्प एक्ट की धारा 47ए के अन्तर्गत उप निबन्धकों द्वारा सन्दर्भित नहीं किया जायेगा।

3- यह निर्देश केवल भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण अभिलेखों पर लागू होगें।

4- उक्त निर्देशों का उच्च विभागीय अधिकारियों द्वारा स्टाम्प कमी हेतु निरीक्षण आदि की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नही होगा।

5- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देश समस्त उपनिबन्धकों को तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रसारित कर दिये जायें।

उक्त के विषय में यदि और विस्तृत नियमावली बनाये जाने की अपेक्षा हो तो कृपया तत्सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 5-3869/11-97 दिनांक 17 दिसम्बर 1997 के अनुरूप शासन की स्वीकृति हेतु तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी0सी0डी0 भार्गव)
विशेष सचिव